

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/11/25

बदल उग्रपक्ष सुनी जरी बहस के निरुद्ध
 पर गम्भीरता से गहन विचार किया गया। पत्रों पर
 विद्यमान दस्तावेजों का ध्यान रखते अवलोकन
 किया गया। उग्रपक्ष के पास तहसील की
 अक्षि क्र. 1288 रकबा 0.60 हे. अक्षि में
 अजायबगिरी सिमेंट का तालाब है उग्रपक्ष
 द्वारा उग्रपक्ष जमीन के पास में नहीं है
 दिनांक 02.08.2016 को जारी अक्षर
 निषेधाज्ञा से अजायबगिरी को अक्षर से
 हो रही है मुविदा संतुलन की जमीन
 के पास में नहीं है अतः दिनांक 02.08.16
 को जारी अक्षर निषेधाज्ञा को निरस्त
 किया जाकर अजायबगिरी की रकबा 212
 काटकर किया जाता है पत्रों के माल
 शुभारंभ होकर नमक से काम की जाकर
 वापिस करवा दे।

